एस.आर.1/S.R. 1

छुट्टी का आवेदन फार्म
FORM OF APPLICATION FOR LEAVE
(अनुपूरक नियम 216 देखिये) (See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी:- मद सं0 1 से 11 प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिये, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित ।
Note: Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted

1. प्रार्थी का नाम
Name of applicant

2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली
Leave Rules applicable

3. पद
Post held

4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग
Department, Office and Section

5. वेतन
Pay

6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते
House Rent Allowance, conveyance allowance or other compensatory allowances drawn in the present post.

7. मांगी गयी छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख
Nature and period of leave applied for and date from which required.

8. रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो, जिन्हें छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं
Sundays and holidays, if any, proposed to be prefixed/suffixed to leave

9. छुट्टी का कारण
Ground on which leave is applied for

10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि
Date of return from last leave, and the nature and period of the leave.

11. मेरा विचार आगामी छुट्टी में..... के खण्ड वर्षों के लिये छुट्टी यात्रा की रियायत लेने का है/नहीं है
I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession for the block years..... during the ensuing leave.

मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिये गये छुट्टी वेतन और आधे औसत वेतन/ आधे वेतन को छुट्टी में मिलने वाले वेतन के अन्तर को उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (11) /संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम II (ग) (111) के लागू न होने पर अनुमत्य होगी ।

I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay / Commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave which would not have been admissible had the proviso to F.R. 81(b) (ii)/ rule II (c) (iii) of the Revised Leave days, 1933 not been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.

12. मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सके जितनी अधिक छुट्टी मैंने ली है तो मुझे अधिक छुट्टी के दौरान, जो मूल नियम 81 (ग) /संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम II (घ) के लागू न किये जाने पर मुझे न मिल पाती, मिली छुट्टी के वेतन को वापस कर दूंगा।

I undertake to refund the leave salary drawn during "leave not due" which would not have been admissible had F.R. 81 (c) /Rule II (d) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

तारीख/ Date: प्रार्थी के हस्ताक्षर/ Signature of applicant:

13. नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी और /या सिफारिश
Remarks and/or recommendation of the Controlling Officer:

तारीख/Date: हस्ताक्षर/Signature:

पदनाम/Designation:

छुट्टी की अनुमन्यता के बारे में प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE
(By Accountant General in the case of Gazetted Officers)

14. प्रमाणित किया जाता है कि .....में .....
तक .....दन के लिये .....नियमावली के नियम.....
के अधीन.....(छुट्टी की किस्म) अनुमत्य है ।
Certified that .....(nature of leave) for
.....from..... to ..... is admissible
under rule..... of the .....Rules.

दिनांक/Date:..... हस्ताक्षर/Signature:
पदनाम/Designation:

15. *स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश-
16. *Order of the sanctioning authority:-

दिनांक/Date: हस्ताक्षर/Signature:
पदनाम/Designation:

---

*यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकार भत्ता मिलता है तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिये कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहाँ इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो।

*The applicant is drawing any compensatory allowance the sanctioning authority should state whether after the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.